

23.6.17

वोर्डे वोगा वारोई काला कर पेश।
वाद पत्रके लय्य इस प्रकार ही विधि
शाम वारोई काला के आराजा नमण्ड

२५५/१, १७ विवाला २ खुला रवाला

५०५ किरवा भुमी वादी की

पुत्रता के पित्त के जीवचवाल

सही कावजा व वास्तु वाला

अतः खाते तथा वादी के पित्त



वि. खोटी देवी.

की मृत्यु होने के पश्चात उक्त आराजी
 में कौन का नाम विरासत में देने हुआ है
 काकी का बच्चा भारत बना आर 20
 है। किन्तु प्रांतवादी सं 192 आदेश
 काकी को उपरोक्त आराजी पर अर्ब 1/4
 बच्चा बनने की गोशिरा करते रहते हैं
 काकी द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी की
 पूर्व में पत्न्यादी भी परवाची गई और
 अपने आराजी के बारे में पत्न्यादी
 गोप किन्तु फिर भी प्रांतवादी सं 192 अपनी
 दरवाली से काज नहीं आये। प्रांत सं 192
 जबर दस्ती धैरी मुझे पर बच्चा
 करना चाहते हैं और छु छ मुझे पर
 बच्चा है अतः अर्ब 1/4 बच्चा
 प्रांतवादी सं 192 के लिए शर्त है बच्चा
 काकी को दिलाया जावे।

पञ्चावली व परस्तुत दस्तावेज
 का अकल्यवचन दिया गया।

आदेश

काद पत्र में काकी द्वारा ऐसे कोई
 दस्तावेज अर्ब 1/4 बच्चे के लिए नहीं
 दिए गए हैं। काद पत्र शरीर ज स्थित जाता
 है।

आज दिनांक 23.6.2012 के कोर्ट के मुफ्त
 कोर्ट के बच्चा पर सर आम भुक्तापा गया।
 पञ्चावली पेशल शुमार हो कर नाम
 में नाम है।



सहायक कलक्टर
 फास्ट ट्रेक, भीलनाडा

अहमदगढ़ में पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा
जोसेफ जय शर्मा (वाराणसी)

श्री देवीलाल पिता बालू हरिजन विवासी वाराणसी
श्री रामा पिता उदा हरिजन
वर्द्धयालाल श्र रामा
ताहसीलदार भीलवाड़ा

उनवान

श्रीमती रेनु मीना

वादा बाबत- 183 श. का. अ. 1955

कदमा नम्बर :- 7114

पेश दिनांक :- 23.6.17

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.6.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वाद पत्र में वादी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिनसे वाद पत्र श्वारीय सिद्ध होता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।